न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 27/2011 (धारा 75 भू राज0 अधि0 1956) (RCMS No.2011/00032)

1. रामकली (मृतक)
   - 1/1 जगदीश
   - 1/2 बृजकिशोर
   - 1/3 केदार

   पुत्रान श्रीमती रामकली पत्नी मेवाराम जाति ब्राहमण निवासी वोकोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
   - 1/4 गायत्री पुत्री स्व0 रामकली–माता, पत्नी निरोती जाति ब्राहमण निवासी सिकरौदा तहसील व जिला भरतपुर।
   - 1/5 लक्ष्मी पुत्री स्व0 रामकली–माता, पत्नी रामपाल निवासी धौरमुई जघीना तहसील व जिला भरतपुर।
   - 1/6 भगवानदेई पुत्री स्व0 रामकली–माता, पत्नी चन्द्रभान जाति ब्राहमण निवासी जगनेर तहसील जगनेर जिला आगरा (यू0पी0)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. रमेश पुत्र टीकाराम
2. श्रीमती पुष्पादेवी वेवा
3. गेपाल
4. चन्द्रशेखर
5. कुमारी रचना

स्व0 सुरेश पुत्रगण पुत्री जाति ब्राहमण निवासी वोकोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 16.6.2008 नामान्तरकरण संख्या 875 वाकै ग्राम वोकोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री दुलीचंद शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 18.07.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार रूपवास के निर्णय दिनांक 16.6.2008 वसिलसिले नामान्तरकरण संख्या 875 वाकै ग्राम वोकोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 8.9.2005 को रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर अपीलान्ट के हक में स्वीकृत हुआ था जिसकी अपील जिला कलक्टर भरतपुर के यहां रैस्पोडेन्ट नं0 1 के द्वारा अपीलान्ट व रैस्पो0 2 लगायत 5 के विरूद्ध की गई जिस पर दिनांक 25.9.2006 को जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा नामान्तरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया। इस प्रकरण में रैस्पो0 संख्या 1 के मौखिक रूप से कहने पर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने विवचारण करने की बजाय ए0डी0जे0 बयाना के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

यहां विचाराधीन प्रकरण के निर्णय तक कार्यवाही नामान्तरकरण स्थगित कर दी है तथा स्थगन आदेश का हवाला भी दिया गया। इस मामले में अपीलान्ट रामकली के अभिभाषक के उपस्थित होने से पूर्व ही अपीलाधीन आदेश 16.6.2008 पारित कर दिया है। किन्तु रिकार्ड पर ऐसा कोई आदेश या प्रोसिडिंग्स की नकल उक्त प्रकरण के माननीय एडीजे के न्यायालय में लम्बित होने के बाबत प्रस्तुत नहीं किया। जिसके आधार पर प्रकरण में अपीलाधीन आदेश पारित करने की आवश्यकता हो। इसलिऐ तहसीलदार रूपवास के आदेश दिनांक 16.6.2008 वसिलसिले नामा0 875 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। .अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2008 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि उक्त आदेश बिना किसी आधार के पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 8.9.2005 जो की रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर अपीलान्ट के हक में स्वीकृत हुआ था। इसकी अपील जिला कलक्टर भरतपुर के यहां रैस्पोडेन्ट नं0 1 के द्वारा अपीलान्ट व रैस्पो0 2 लगायत 5 के विरूद्ध पेश की गई थी। जिसमें जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा आदेश दिनांक 25.09.2006 के द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया था। उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा रैस्पो0 संख्या 1 के मौखिक रूप से कहने पर ही प्रकरण में विवचारण करने की बजाय ए0डी0जे0 बयाना के यहां विचाराधीन प्रकरण के निर्णय तक कार्यवाही नामान्तरकरण को स्थगित करने का आदेश दिनांक 16.06.2008 को पारित किया है। जिसमें स्थगन आदेश का हवाला भी दिया गया है जो कि गलत है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। तहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रजि0 बयनामा के आधार पर हुये नामा0 को रोका नहीं जा सकता है और ना ही किसी प्रकरण के विचाराधीन होने के आधार पर रोका जा सकता है। उक्त प्रकरण में नामा0 की कार्यवाही श्रीमान एडीजे साहब के यहां दावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही चालू हो चुकी थी तथा पश्चातवर्ती दावा का नामा0 की प्रोसीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं रहता है। इसके अलावा स्थगन आदेश मात्र मौके की यथास्थिति बाबत है। केतागण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर कोई पाबन्दी एडीजे साहब ने नहीं लगाई है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने सभी बातें मौखिक बातों के आधार पर अपनी निजी कयासों से दर्ज कर नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित की जो नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्याालय ने सभी कार्यवाही एकतरफा तौर पर प्रार्थीया/अपीलान्ट के वकील की गैरमौजूदगी में बिना सुने तथा असलियत को जाने बिना रैस्पोडेन्ट से साज कर जल्दबाजी में आदेश पारित कर दिया है। प्रकरण को स्थगित करने हेतु उनके पास कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं थे तथा अपीलाधीन आदेश में कोई सारभूत कारण भी स्पष्ट नहीं किया। वरन् रैस्पो0 संख्या 1 के वकील के कहने मात्र से एडीजे न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की वास्तविक स्थिति को जाने बिना व अपीलाधीन आदेश में कोई ठोस आधार दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नहीं थी। इस आदेश की जानकारी दिनांक 22.2.2011 को हुई है। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसका कोई प्रतिउत्तर या काउन्टर शपथ पत्र रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2008 को निरस्त किया जावे तथा प्रकरण में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा दिए गए निर्देश की पालना में समुचित निर्णय पारित किए जाने हेतु तहसीलदार रूपवास को निर्देशित किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.2008 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किए जाने की जरूरत नहीं है। विवादित नामान्तरकरण संख्या 875 के अवलोकन से यह जाहिर है कि नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व तहत न्यायालय ने पक्षकारान की सुनवाई नहीं की है क्योंकि विवादित आराजी में अन्य सहखातेदारान भी थे। यह सही है कि रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है किन्तु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के मध्यनजर सभी हितधारी पक्षकारों को सुनना न्यायिक निर्णय के लिये आवश्यक था। जिसका कि उक्त प्रकरण में अभाव होने के कारण नामांतकरण निरस्त किया गया था। अपीलान्ट के पक्ष में जिस समय नामान्तकरण खोला गया उस समय विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन थे। जिनमें से रैस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से भी दावा किया हुआ था। उक्त नामांतकरण स्वीकृत किए जाने से पूर्व रैस्पोडेन्ट को नहीं सुना गया। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि किसी भी नामान्तरकरण को सक्षम अदालत में वाद विचाराधीन होने पर उसे रोका जाना चाहऐ ताकि बहुवाद को बढावा नहीं मिले। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग है जिसे वाद विचाराधीन रहने तक स्थगित रखना चाहिए। जिला कलक्टर भरतपुर के द्वारा रिमाण्ड संबंधी उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई के दौरान तहसीलदार के समक्ष यह तथ्य सामने आने पर कि विवादित आराजी का मामला एडीजे बयाना में विचाराधीन है। इसलिए नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित किया गया। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि के संबंध में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बयाना की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.08.2017 के विरूद्ध रैस्पोडेन्ट संख्या 5 रचना कुमारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस0बी0 सिविल फर्स्ट अपील नं0 708/2017 रचना कुमार बनाम श्रीमती रामकली व अन्य दायर की गई है। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09.10.2017 के द्वारा रिकार्ड एवं रैस्पोडेन्ट को तलब किये जाने के निर्देश देते हुए विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं किए जाने संबंधी स्थगन आदेश पारित किये हैं। वर्तमान में विवादित भूमि के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में वाद विचाराधीन है तथा अपीलाधीन निर्णय के वक्त न्यायालय एडीजे साहब बयाना के समक्ष विचाराधीन था। ऐसी स्थिति में जब निरन्तर दावा सक्षम अदालत में विचाराधीन हो

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तो नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही को स्थगित रखा जाना ही उचित है। इसी आधार पर तहसीलदार रूपवास द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.2008 को पारित किया गया है, जो कि नियमानुसार है। अपीलान्ट की ओर से उक्त अपील मियाद बाहर पेश की गई है। मियाद को कंडोन किए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.06.2011 का होने व इसकी जानकारी दिनांक 22.02.2011 को होने का उल्लेख किया है जो कि विरोधाभासी है, क्योंकि दिनांक 16.06.2011 को जारी आदेश की जानकारी दिनांक 22.02.2011 को कैसे हुई स्पष्ट नहीं है। अतः अपीलान्ट की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में अपीलाधीन निर्णय का दिनांक भिन्न दर्ज किए जाने के कारण अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत की ओर से जारी इंटरलोक्यूट्री आदेश के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। जबकि इस तरह के आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी दायर की जा सकती है। चूंकि उपरोक्त प्रकरण वर्तमान में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के अन्तिम निर्णय होने तक नामांतकरण संबंधी कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में वर्णित यह तर्क कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में निर्णय की तिथि व जानकारी की तिथि विरोधाभासी होने के कारण अपील मियाद बाहर मानी जाकर निरस्त की जावे, मानने योग्य नहीं है। क्योंकि दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की दिनांक 16.06.2008 के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि के कारण दिनांक 16.06.2011 दर्ज हो गई। केवल इस आधार पर ही अपील को खारिज किया जाना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मीमो आफ अपील में तथा अपील की इस्तदुआ में अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2008 का उल्लेख ही किया गया है। इसी प्रकार वकील रैस्पोडेन्ट का यह तर्क भी गलत है कि अपीलाधीन आदेश इंटरलोक्यूट्री आदेश है, क्योंकि तहसीलदार रूपवास द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2008 के द्वारा अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा दी गई मौखिक जानकारी के आधार पर नामांतकरण संबंधी कार्यवाही को स्थगित रखे जाने का आदेश पारित किया है, जो कि अभी तक भी प्रभावी है। जबकि तहसीलदार को जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 25.09.2006 में दिए गए निर्देशों के तहत पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करना था। इस आदेश के विरूद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है तथा न ही अदालत मातहत के समक्ष विवादित भूमि के संबंध में प्रकरण लम्बित होने अथवा स्थगन होने का कोई रिकार्ड ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के कार्यवाही को रोका जाना नियम विरूद्ध है। अतः उक्त आदेश की अदालत हाजा में अपीलान्ट की ओर से अपील किया जाना सही है। इसके अलावा किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के आधार पर नामांतकरण संबंधी कार्यवाही बिना किसी स्थगन आदेश के रोके जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

है। जहां तक विवादित भूमि के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने व स्थगन होने का प्रश्न है तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने केवल विवादित भूमि के हस्तांतरित करने पर रोक लगाई है। नामांतकरण संबंधी कार्यवाही किए जाने पर कोई रोक नहीं लगाई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश की पालना में विवादित भूमि का नामांतकरण खोले जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा मनन किया गया एवं अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार रूपवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2008 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 01.03.2011 को अपील पेश की है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र संलग्न किया है। अपीलान्ट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश किए जाने पर अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज किए जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु तय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट ने अपील को पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.02.2011 को होने व जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश किए जाने का उल्लेख किया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी दिया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से दफा 5 के लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का न तो जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की पूर्व से जानकारी रही हो। यद्यपि वकील रैस्पोडेन्ट ने दौराने बहस यह तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की दिनांक 16.06.2011 व निर्णय की जानकारी दिनांक 22.02.2011 को होने का उल्लेख किया है, जो कि विरोधाभासी है। इस आधार पर अपील मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज की जावे। वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा दिए गए उक्त तर्क से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस में यह उल्लेख किया है कि दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की दिनांक लिपिकीय त्रुटिवश 16.06.2008 के स्थान पर 16.06.2011 गलती से अंकित हुई है। जबकि मीमो आफ अपील में अपीलाधीन निर्णय का दिनांक 16.06.2008 ही अंकित है। तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि के आधार पर किसी भी अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट ने अपने मीमो आफ अपील में उल्लेख किया है कि तहसीलदार रूपवास द्वारा अपीलाधीन आदेश वकील अपीलान्ट की उपस्थिति में पारित किया है, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं रही है। इसके संबंध में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय के दिन अदालत मातहत में उपस्थित था अथवा प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व अपीलाधीन निर्णय की जानकारी रही हो। इसके अलावा भी मियाद संबंधी बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल की ओर से निम्न नजीरों में यह सिद्धान्त

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

18.7.2013
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

प्रतिपादित किया है कि तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज नहीं किया जाना चाहिए तथा अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख अपनाना चाहिए।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.डी. 2002 पेज 37 पर उद्धरित निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:–

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल ने आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, पर उद्धरित निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

अतः उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से सादर सहमत होते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैस्पोडेन्ट की ओर से तहसीलदार रूपवास के कार्यालय में दिनांक 18.10.2006 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि नामांतकरण संख्या 875 दिनांक 08.09.2005 जिसे जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.09.2006 व 06.10.2006 के द्वारा निरस्त किया है, की प्रति संलग्न कर प्रार्थना है कि नामांतकरण संख्या 875 दिनांक 08.09.2005 को कलमजन करते हुए नवीन नामांतकरण पूर्व अनुसार अंकित किए जाने की कार्यवाही की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार रूपवास द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षकारान को नोटिस जारी किया गया। दौराने कार्यवाही दिनांक 16.06.2008 को अदालत मातहत द्वारा इस आशय का आदेश पारित किया गया है कि अपीलान्ट के वकील द्वारा अवगत कराया गया है कि इस प्रकरण में वाद माननीय न्यायालय एडीजे बयाना में विचाराधीन है तथा स्थगन आदेश भी है। ऐसी स्थिति में जब तक माननीय न्यायालय एडीजे बयाना से प्रकरण का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक कार्यवाही स्थगित रखी जावे। उक्त दिनांक 16.06.2008 की आदेशिका के बाद कोई कार्यवाही उक्त पत्रावली में किया जाना नहीं पाया गया। अदालत मातहत की पत्रावली में भी इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं पाया गया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विवादित भूमि के संबंध में दिनांक 16.06.2008 को माननीय एडीजे बयाना के न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन था अथवा स्थगन आदेश जारी किए हुए थे। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.06.2008 न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि दौराने बहस वकील रैस्पोडेन्ट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में रैस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से दायर की गई प्रथम अपील संख्या 708/2017 रचना कुमारी बनाम रामकली वगैराह की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

द्वारा आदेश दिनांक 09.10.2017 के द्वारा रैस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किए जाने, रिकार्ड तलब किए जाने तथा इस दौरान विवादित सम्पत्ति को हस्तांतरित नहीं किए जाने के संबंध में आदेश पारित किया है कि प्रति प्रस्तुत की है तथा यह भी अवगत कराया है कि विवादित भूमि के संबंध में अन्य न्यायालय में भी वाद विचाराधीन है, परन्तु जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 25.09.2006 व 06.10.2006 को किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगित किए जाने या विवादित भूमि के संबंध में नामांतकरण संबंधी कार्यवाही रोके जाने के बारे में किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को रोका जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा आदेश दिनांक 25.09.2006/06.10.2006 में तहसीलदार रूपवास को यह निर्देश दिए हैं कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें। अतः उभयपक्षकारान तहसीलदार रूपवास के समक्ष अपना–अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र हैं, परन्तु मौखिक रूप से दी गई जानकारी के आधार पर अपीलीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर की जाने वाली कार्यवाही को रोका जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि तहसीलदार रूपवास द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में कोई इंटरलोक्यूट्री आदेश जारी नहीं कर की जाने वाली कार्यवाही को माननीय एडीजे बयाना में लम्बित वाद के निर्णय तक स्थगित किए जाने का आदेश दिनांक 16.06.2008 को पारित किया है व इसके बाद में अपील पेश होने तक कोई कार्यवाही तहसीलदार रूपवास की ओर से नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रूपवास की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.06.2008 की अपील अदालत हाजा में ग्राहय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.06.2008 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रूपवास को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से अपील संख्या 39/05 उनवानी रमेश बनाम श्रीमती रामकली में पारित आदेश दिनांक 25.09.2006/06.10.2006 में दिए गए निर्देशों के मुताबिक उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर